समाहरणालय, मुंगेर।
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,
आदेश

कबीर अन्त्येष्ठि अनुदान योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2013-14 के लिये सरकार से सामान्य घटक के अधीन मो0-3480010=00 (चौतीस लाख अस्सी हजार दस) रूपये एवं विशेष घटक के तहत् मो0-1751378=00(सतरह लाख एकावन हजार तीन सौ अठारह) रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ है, उक्त प्राप्त आवंटन को निम्नतालिका के अनुरूप सभी प्रखंडों, नगर निगम, मुंगेर, नगर परिषद जमालपुर एवं नगर पंचायत खड़गपुर को उपावंटित किया जाता है, साथ ही उपावंटित की जा रही राशि के व्यय के संबंध में विभाग से प्राप्त दिशा निदेश से संबंधित सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 200 दिनांक 25.01.12 की छायाप्रति इस कार्यालय के पत्रांक 398 दिनांक 09.07.12 के द्वारा आपको उपलब्ध कराया गया है। विभागीय पत्र में उल्लेखित दिशा निदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

क्र0	प्रखंड एवं नगर निकाय का नाम	सामान्य घटक में उपावंटित राशि	विशेष घटक में उपावंटित राशि	कुल उपावंटित राशि
1	2	3	4	5
1	प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर	244500=00	118500=00	363000=00
2	प्रखंड विकास पदाधिकारी, जमालपुर	195000=00	96000=00	291000=00
3	प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरियारपुर	211500=00	103500=00	315000=00
4	प्रखंड विकास पदाधिकारी, धरहरा	244500=00	118500=00	363000=00
5	प्रखंड विकास पदाधिकारी, खड़गपुर	327000=00	156000=00	483000=00
6	प्रखंड विकास पदाधिकारी, टेटिया-बम्बर	115500=00	73500=00	189000=00
7	प्रखंड विकास पदाधिकारी, तारापुर	228000=00	111000=00	339000=00
8	प्रखंड विकास पदाधिकारी, संग्रामपुर	165000=00	96000=00	261000=00
9	प्रखंड विकास पदाधिकारी, असरगंज	115500=00	73500=00	189000=00
10	नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर	742500=00	358500=00	1101000=00
11	कार्यपालक पदा0 नगर परिषद, जमालपुर	594000=00	291000=00	885000=00
12	कार्यपालक पदा0 नगर पंचायत खड़गपुर	297000=00	154500=00	451500=00
	कुल	34,80,000=00	17,50,500=00	52,30,500=00

1/ वी0पी0एल0 परिवार के किसी भी उम्र के सदस्य की स्वभाविक या आकस्मिक रूप से मृत्यु की स्थिति में अन्त्येष्ठि क्रिया सम्पन्न कराने के निमित्त 1500=00(एक हजार पाँच सौ) रूपये नगद भुगतान का प्रावधान है।

2/ उपावंटित की जा रही राशि का व्यय पूर्व में विभागीय पत्रांक 200 दिनांक 25.01.12 जो आपको उपलब्ध कराया गया है में उल्लेखित दिशा निदेश का पालन किया जाय।

3/ कबीर अन्त्येष्ठि अनुदान योजना के अन्तर्गत पूर्व में उपावंटित राशि तथा वर्त्तमान में उपावंटित की जा रही राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये गये विहित प्रपत्र में शीघ्र भेजना सुनिश्चित किया जाय, ताकि ससमय सरकार को उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजा जा सके।

इस संबंध में आपको आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त उपावंटित राशि का चेक प्राप्त करने हेतु अपने नाजिर/कैशियर को नाजिर रसीद के साथ पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अंदर जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मुंगेर में प्रतिनियुक्त करें।

ह0—

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

G:\kabir anth. 16-09-13.docx

ज्ञापांक 576 /सा0सु0को0, दिनांक 20.9.13

प्रतिलिपि :- नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जमालपुर/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, खड़गपुर/ एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, खड़गपुर, एवं तारापुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- नाजिर, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मुंगेर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

14/9/13

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

G:\kabir anth. 16-09-13.docx